राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–62/2013

पन्नालाल बारूपाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये मुख्य अभियंता (प्रशासन) जन स्वा.अभि. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन.स्वा.अभि. विभाग, क्षेत्र बीकानेर।
3. अधिक्षण अभियंता, जन.स्वा.अभि. विभाग वृत बीकानेर।
4. अधिशाषी अभियंता, जन.स्वा.अभि. विभाग, उ.वि. राजस्व खण्ड द्वितीय बीकानेर।
5. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.08.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति राज्य सरकार में दिनांक 23.10.1973 को नियमित सहायक के पद पर हुई थी। अपीलार्थी दिनांक 30.09.2011 को पंप चालक प्रथम के पद पर से अधिवार्षिकी सेवा पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हुआ। अपीलार्थी को कार्यालय आदेश दिनांक 5.6.1982 के द्वारा पम्प चालक तृतीय के पद पर विभगीय पदोन्नति की सिफारिश पर नियुक्ति हेतु पूर्ववती वर्षो की नियुक्ति के विरूद्ध पदोन्नति द्वारा भर्ती के तहत नियुक्त कर स्थाईकरण जलदाय योजना बीकानेर में किया गया। अधिक्षण अभियन्ता द्वारा दिनांक 23.10.09 को पुनः एक आदेश जारी किया कि अधिशाषी अभियन्ता के द्वारा दिनांक 5.6.1982 के द्वारा अपीलार्थी के पम्प चालक तृतीय के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी किये गये थे परन्तु सहायक अभियन्ता द्वारा सेवा पुस्तिका में पदौन्नति की टिप्पणी की गई है अतः कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में पदौन्नति के स्थान पर नियुक्ति की टिप्पणी अंकित की जाती है तद्नुसार इनको चयनित वेतनमान का लाभ पम्प चालक तृतीय के पद पर नियुक्ति मानते हुये दिया था। उपरोक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को पम्प चालक तृतीय पद पर दिनांक 09.11.1978 को पुनः नियुक्ति मानते हुए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.1.1992 के अनुसरण में चयनित वेतनमान का लाभ दे दिया गये का तद्नुसार रिवाईज्ड पेंशन फिक्सेशन कर लाभ दे दिया गया, जो लाभ

अपीलार्थी प्राप्त कर रहा है। इसके पश्चात अधिक्षण अभियन्ता के द्वारा विवादित आदेश दिनांक 31.10.2012 जारी किया गया कि पूर्व में जारी आदेश 23.8.2009 निरस्त किये जाते हैं तथा अपीलार्थी का पुनः पेंशन संशोधित करते हुऐ तुरन्त वसूली की कार्यवाही की जावे। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि उपरोक्त आदेश दिनांक 31.10.2012 सरासर गलत, अनुचित, अवैध, मनमाना, अवैधानिक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जारी किया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि वर्तमान विभाग के संबंध में पूर्व में अन्य संख्या 49/2013 कैलाश सिंह चौहान एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य अपीलों में निर्णय दिनांक 30.05.2018 पारित किया गया। अपीलार्थी का मामला भी उक्त निर्णीत अपीलों के समान ही है।

3. पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अधिकरण द्वारा अपील संख्या 49/2013 में आदेश दिनांक 30.05.2018 का अवलोकन किया गया। उक्त अपील में अधिकरण द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया हैः–

> ''माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किये गये सिद्धान्तों एवं वित्त विभाग के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 17.08.2016 के अलोक में आलोच्य आदेश दिनांक 31.10.2012 (अनुलग्नक–1) के क्रम में विधि के अनुरूप अपीलार्थीगण से वसूली नहीं की जा सकती है क्योंकि अपीलार्थीगण ने हस्तगत प्रकरण में कोई गलत बयानी या धौखा नहीं किया है और अपीलार्थीगण के क्रम में यह सद्भावनापूर्वक किया गया भुगतान है। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त रफीक मसीह प्रकरण में दिये गये आदेश के क्रम में अपीलार्थीगण से आदेश दिनांक 23.10.2009 (अनुलग्नक –3) के क्रम में किए गए अधिक भुगतान की आलोच्य आदेश दिनांक 31.10.2012 (अनुलग्नक –1) की पालना में वसूली किया जाना न्यायहित में नहीं है। अतः आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण को आदेश दिनांक 23.10.2009 (अनुलग्नक 3) के अनुसरण में किये गये अधिक वेतन भुगतान की वसूली आलोच्य आदेश दिनांक 31.10.2012 के क्रम में नहीं की जाये। अपीलार्थीगण भविष्य में आलोच्य आदेश दिनांक 31.10.2012 (अनुलग्नक–1) के अनुसार ही वेतन भत्ते, पेंशन एवं सेवानैवृत्तिक परिलाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।''

5. वर्तमान में अपीलार्थी का मामला अधिकरण द्वारा निर्णित उक्त अपील में भिन्न नहीं है। अतः अधिकरण द्वारा निर्णित उक्त अपील संख्या 49/2013 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2018 के अवलोकन से अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं

प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उसी प्रकार से लाभ दिये जावे, जो उक्त अपील संख्या 43/2013 में अपीलार्थीगण को प्रदान किया गया है।

6. उक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)